



# राजस्थान आवासन मण्डल

## आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की स्वचित पोषित योजना के अन्तर्गत एम.एन.आई.टी. फेकल्टी पंजीकरण योजना 2025 पंचम चरण के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग-प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ के लिये दिनांक 01.02.2025 से 28.02.2025 तक खोली गई थी, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 15.03.2025 तक बढ़ाई गई थी। ऑनलाईन प्राप्त योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण लॉटरी दिनांक 04.04.2025 को प्रस्तावित थी। अपरिहार्य कारणों से स्थगित वरीयता निर्धारण लॉटरी को दिनांक 02.06.2025 को सायं 3.00 बजे "वेब बेस्ड प्रणाली" द्वारा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | कार्यक्रम का विवरण                             | दिनांक, समय एवं स्थान                                               |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1       | योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन | 23.05.2025 सायं 6:00 बजे                                            |
| 2       | आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि            | 28.05.2025 सायं 6.00 बजे तक                                         |
| 3       | योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन         | 30.05.2025 सायं 6:00 बजे                                            |
| 4       | वरीयता निर्धारण लॉटरी का आयोजन                 | 02.06.2025 दोपहर 3:00 बजे से                                        |
| 5       | संबंधित कार्यालय                               | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर |

नोट :-

- उपरोक्त योजना के योग्य आवेदकों की वरीयता का निर्धारण कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से लॉटरी द्वारा मण्डल नियमानुसार किया जावेगा। 2. योग्य आवेदकों की वरीयता सूची मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajaasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajaasthan.gov.in/rhb) एवं वृत्त-प्रथम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। 3. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं।